



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श10)

(सं0 पटना 868) पटना बुधवार 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

13 दिसम्बर 2019

सं० 1919—मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर स्थान मन्दिर न्यास, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—180 है। पूर्व में पर्षदीय पत्रांक 1199 दिनांक 25.09.2013 द्वारा सिंहेश्वर स्थान मन्दिर की व्यवस्था हेतु एक मार्ग दर्शिका तैयार की गयी थी। उक्त के आलोक में अधिसूचना दिनांक 08.11.2014 द्वारा 05 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। पंडा समाज से कोई व्यक्ति समिति में नहीं था। अतः विचारोपरान्त पंडा समाज से श्री धर्मनारायण ठाकुर एवं श्री सुधीर ठाकुर को न्यास समिति का सदस्य बनाया गया तथा दो अन्य व्यक्ति श्री सरोज कुमार तथा उपेन्द्र कुमार रजक को जो स्वत्व वाद संख्या 03/37 के वादी के वंशज थे एवं दलित समाज का व्यक्ति था को सदस्य के रूप में मान्यता दी गयी। कुछ समय बाद पंडा समाज से नामित दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध आपत्ति प्राप्त हुयी जिसपर न्यास समिति कि अध्यक्ष श्री एस0 के0 झा(सेवानिवृत्त जिला जज) से मंतव्य की मांग की गयी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.12.2016 में धर्मनारायण ठाकुर को एक आपराधिक वाद में अभियुक्त तथा न्यास की सम्पत्ति को अतिक्रमित करने के संबंध में आरोपित बतलाया तथा दूसरे सदस्य श्री सुधीर ठाकुर की छवि अच्छी नहीं होने का उल्लेख किया। अतः पर्षदीय आदेश दिनांक 05.12.2016 द्वारा श्री धर्मनारायण ठाकुर एवं श्री सुधीर ठाकुर को सदस्य पद से मुक्त करते हुए श्री संजीव कुमार ठाकुर एवं कन्हैया ठाकुर को सदस्य के रूप में मान्यता दी गयी।

उक्त न्यास समिति का कार्यकाल समाप्ति की ओर अग्रसर होने के कारण दिनांक 14.01.2019 के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से स्वच्छ छवि के ग्यारह व्यक्तियों की सूची की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक—22.08.2019 को प्राप्त हुआ जिसके संबंध में पर्षद को डाक एवं e-mail के माध्यम से 04 व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुयी और कथन किया गया कि प्रस्तावित नामों में 04 व्यक्तियों के विरुद्ध जिला पदाधिकारी (डी0 एम0) एवं पुलिस अधीक्षक(एस0पी0) द्वारा जांच की जा रही है जिसमें आरोप था कि कन्हैया ठाकुर, संजीव कुमार ठाकुर एवं सरोज कुमार ने मवेशी हाट बन्दोबस्ती में पर्षद के कई निर्देशों के विरुद्ध न्यास हित के प्रतिकूल कार्य किया है। आगे आरोप है कि एक षडयंत्र के तहत जब कमिटी का एक वर्ष का समय शेष था परन्तु मवेशी हाट की नीलामी 03 वर्षों के लिए कर दी गयी। पर्षद द्वारा जब प्रार्थीगण के आपत्ति पर 03 वर्ष की बन्दोबस्ती को रद्द करते हुए 01 वर्ष की मान्यता दी गयी और उसके बाद मवेशी हाट की राजस्व की वसूली खुली डाक द्वारा की गयी जिसमें 20 लाख रुपये से अधिक की वृद्धि के साथ बन्दोबस्ती की राशि आयी। यह भी आरोप लगाया कि पर्षद द्वारा वर्ष 2013 में जारी मार्ग दर्शिका में 02 सदस्य जो पंडा समाज द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान था, जबकि दो

पंडा का नाम आया उन्हें पंडा समाज द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। साथ ही श्री धर्मनारायण ठाकुर एवं वीजेन्द्र ठाकुर द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पर्षद के समक्ष पंडा समाज के 14 सदस्यों में से 09 सदस्यों द्वारा उनको चयन किए जाने की बात कही और इस संबंध में पंडा समाज से 09 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव की प्रति अलग-अलग दाखिल किया।

पर्षद के आदेश दिनांक-14.11.2019 के आलोक में न्यास समिति के सदस्यों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी का पत्र दिनांक-22.11.2019 जो पर्षद को दिनांक-03.12.2019 को प्राप्त हुआ।

आवेदिका स्मिता सिंह ने अपने बायोडाटा के साथ एक प्रार्थना पत्र दिया कि वे हकीमत वाद संख्या 03/37 के वादी सूरज प्रसाद सिंह की पौत्री हैं और इनके परिवार से आजतक किसी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया गया है।

सचिका में उपलब्ध दस्तावेजों, आरोपों, शिकायत पत्रों तथा जिला पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित नामों में कुछ संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है:-

1. पंडा समाज के नामित दो सदस्य कन्हैया ठाकुर एवं संजीव कुमार ठाकुर का नाम प्रस्तावित है परन्तु उनका चुनाव पंडा परिवार द्वारा किया गया प्रतीत नहीं होता है जो पर्षद के मार्ग दर्शिका वर्ष 2013 के अनुकूल नहीं है। जहां तक पंडा समाज द्वारा जिन दो व्यक्ति वीजेन्द्र ठाकुर एवं धर्मनारायण ठाकुर का नाम प्रस्तावित किया गया है, उनमें धर्मनारायण ठाकुर के विरुद्ध समिति के अध्यक्ष(अवकाश प्राप्त जिला जज) द्वारा की गयी रिपोर्ट में गंभीर आरोप मठ की भूमि का अतिक्रमण एवं आपराधिक मामले में संलिप्त होने की रिपोर्ट अनुमण्डल पदाधिकारी से दिनांक-22.11.2019 को प्राप्त होने के कारण सदस्य बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरे सदस्य वीजेन्द्र ठाकुर के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है और पंडा समाज द्वारा प्रस्तावित है, अतः जिला पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित सूची में से कन्हैया ठाकुर के स्थान पर वीजेन्द्र ठाकुर को सदस्य बनाया जाता है।
2. चूंकि प्रस्तावित सूची में कोई महिला सदस्य का नाम नहीं है और पर्षद को स्मिता सिंह पति उमाशंकर सिंह, जो स्वत्व वाद संख्या 03/37 में वादी स्व0 सूरज प्रसाद सिंह की पौत्री हैं, का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, अतः जिला पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित वादी परिवार के सरोज कुमार सिंह जिनके विरुद्ध आरोप भी है, के स्थान पर स्मिता सिंह को सदस्य के रूप में मान्यता दी जाती है।
3. प्रस्तावित नाम नरेश अग्रवाल के विरुद्ध आरोप प्राप्त हुआ है कि पूर्व में जो मवेशी हाट की बंदोबस्ती एक षडयंत्र के तहत तीन वर्ष के लिए दी गयी थी, जिसे पर्षद के आदेश द्वारा केवल एक वर्ष के लिए मान्यता दी गयी है, उसमें बन्दोबस्ती प्राप्तकर्ता के पार्टनर है। अतः उनके स्थान पर मदन मोहन सिंह को सदस्य की मान्यता दी जाती है, जिनका चरित्र सत्यापन भी प्राप्त हो गया है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि संख्या-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री सिंहेश्वर स्थान मन्दिर तथा इसी सम्पत्ति के समुचित प्रबंधन, प्रशासन एवं संचालन तथा निधियों के नियोजन एवं व्ययन के लिए इस अनुपूरक योजना के तहत का निरूपण तथा इसको मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

पूर्व प्रकाशित योजना/मार्गदर्शिका में उल्लेखित नियम/शर्तें/प्रावधानों के अतिरिक्त न्यास समिति निम्नलिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी:-

1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम " श्री सिंहेश्वर स्थान मन्दिर न्यास योजना" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम " श्री सिंहेश्वर स्थान मन्दिर न्यास समिति" होगा।
2. मन्दिर एवं उसकी समग्र चल-अचल सम्पत्तियों का प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार न्यास समिति में निहित होगा।
3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व शास्त्रीय मर्यादा तथा युगधर्म के अनुरूप मन्दिरों में नियमित पूजन-अर्चन, राग-भोग एवं सामयिक उत्सवों का सम्यक् आयोजन एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
4. मन्दिर के सिंहद्वार एवं अन्य भवनों/मंदिरों को भव्य रूप देने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।
5. न्यास समिति मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, पूजा-पाठ एवं धार्मिक तथा मांगलिक अनुष्ठानों एवं संस्कारिक क्रिया कलाप हेतु समुचित व्यवस्था करेगी तथा इसके लिए सेवा-शुल्क या न्योछावर की राशि का निर्धारण करेगी।
6. न्यास समिति न्यास की समग्र आय का सम्यक् लेखा-संग्रहण करेगी और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लेखा का अंकेक्षण कराकर उसकी प्रति पर्षद को समर्पित करेगी।
7. न्यास समिति न्यास की समस्त आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।
8. मन्दिर में आने वाले आस्थावान् भक्तों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। साथ ही विशेष आयोजनों के अवसर पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किया जायेगा।

9. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उपविधि में वर्णित सभी प्रावधानों / नियमों का सम्यक् एवं ससमय अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. सिंहेश्वर स्थान मंदिर न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं, धर्मस्वों का समुचित व्यवस्थापन/प्रबंधन सुनिश्चित करेगी।
11. न्यास समिति साधु-संतों व विद्वानों के विश्राम, भोजन, वस्त्र की समुचित व्यवस्था करेगी तथा गरीब, असहाय की सहायता करेगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। न्यास समिति के प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्तरूप देने का उत्तरदायित्व सचिव का होगा।
13. न्यास समिति की बैठक सामान्यतः मन्दिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी।
14. जिन नियमों का उल्लेख इस योजना में नहीं है, और न्यास हित अथवा लोकहित में आवश्यक समझा जा रहा हो, तो न्यास समिति इस हेतु आयोजित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के बाद इसे लागू करेगी।
15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
16. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभान्वित होते हुए पाये जायेंगे या आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
17. इस न्यास के पास काफी राशि जमा है, किन्तु उसका उपयोग परोपकार-कार्यों में नहीं होता है, अतः न्यास समिति जनहित में अस्पतालों / विद्यालयों जैसे परोपकारी संस्थाओं को चलाने का उपक्रम करेगी।
18. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
19. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्यवाई करेगी।
20. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
21. **न्यास समिति पदाधिकारी, सदस्य न्यास की कोई सम्पत्ति, भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/बिक्री, पट्टा/लीज (तीन वर्ष से अधिक) आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। प्रत्येक बन्दोबस्ती खुली डाक द्वारा की जायेगी।**
22. इस अनुपूरक योजना में दिनांक-25.09.2013 की योजना से कोई विरोधाभास पाया जायेगा तो दिनांक-25.09.2013 की योजना प्रभावी मानी जायेगी।

उपर्युक्त अनुपूरक योजना को मूर्त रूप देने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा 05 वरीय पदाधिकारियों की कमिटी द्वारा अनुशंसित 11 नामों की सूची प्रस्तावित किया गया है, उसमें उपर्युक्त तीन नामों में संशोधन करते हुए शेष 08 नामों का अनुमोदन किया जाता है। अतः नवीन न्यास समिति निम्नलिखित रूप में गठित की जाती है:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा | — अध्यक्ष |
| 2. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा | — उपाध्यक्ष |
| 3. अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा | — सचिव |
| 4. श्री मनीष सराफ, पे0-स्व0 विमल कुमार सराफ, वार्ड संख्या-20, मधेपुरा | — कोषाध्यक्ष |
| 5. श्री बबलु ऋषिदेव, पे0-दशरथ ऋषिदेव ग्राम- रामपट्टी, थाना+अंचल-सिंहेश्वर, मधेपुरा | — सदस्य |
| 6. श्री संजीव ठाकुर, पे0-प्रमोद ठाकुर, ग्राम-गौरीपुर, पंडाटोला, वार्ड संख्या-8, थाना-सिंहेश्वर, मधेपुरा | — सदस्य |
| 7. श्री वीजेन्द्र ठाकुर, पे0-स्व0 शशिनाथ ठाकुर वार्ड संख्या-09, गौरीपुर, सिंहेश्वर, मधेपुरा | — सदस्य |
| 8. श्री विजय कुमार सिंह, पे0-श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह साकिन-लालपुर सरोपट्टी, थाना-सिंहेश्वर, मधेपुरा | — सदस्य |
| 9. श्रीमती स्मिता सिंह, पति- श्री उमाशंकर सिंह ग्राम+पो0-मेनरोड, बस स्टैंड, सिंहेश्वर, मधेपुरा | — सदस्य |
| 10. श्री सियाराम यादव, पे0-स्व0 कैलु यादव ग्राम- गौरीपुर, वार्ड संख्या-06, सिंहेश्वर, मधेपुरा | — सदस्य |
| 11. श्री मदन मोहन सिंह, पे0-प्रियव्रत नारायण सिंह ग्राम+पो0-पटोरी, थाना-सिंहेश्वर, मधेपुरा | — सदस्य |

उपरोक्त क्रम संख्या-07, 09 एवं 11 के संबंध में चरित्र सत्यापन कर रिपोर्ट की मांग संबंधित थाना से की गयी थी, जो पर्षद को प्राप्त भी प्राप्त हो चुका है।

उक्त न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से अगले आदेश तक किया जाता है तथा पर्षद की बैठक में रख अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् स्थायी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 868-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>